

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-515/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.215-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(273)-2023

लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना


एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना सं. 445/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020 दिनांक 11 मई, 2020 और अधिसूचना सं. 496/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021 दिनांक 28 जून, 2021 तथा अधिसूचना सं. 596/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.187- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(249)-2022 दिनांक 21 जुलाई, 2022 का आंशिक उपांतर करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती है, अर्थात् :-

(एक) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक;

(दो) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;

(तीन) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक।

2. यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव